निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 19/2019
दायरा दिनांकः–02.08.2019
निर्णय दिनांकः– 30.9.24

उनवान

1. चरण सिंह उर्फ चुन्नीलाल आयु 90 वर्ष आत्मज नारायणसिंह जाति खारवाल निवासी गुगोर हाल मुकाम कवाई सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 30.9.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री ओमप्रकाश – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम खेड़ली तहसील छबड़ा में खाता संख्या 1/2 में भूमि खसरा नंबर 5 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र नारायण जाति खारवाल तहसील छबडा के नाम दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में है। प्रार्थी व्यवसाय के संबंध में कवाई सालपुरा तहसील अटरू में निवास करता है। उक्त सेटलमेन्ट गांव वालों ने प्रार्थी का नाम उक्त खातेदार चुन्नीलाल दर्ज करवा दिया। जबकि वास्तव में प्रार्थी का नाम चरणसिंह है तथा चरणसिंह के नाम से ही आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, मतदाता लिस्ट, बैंक खाता सभी में चरणसिंह पुत्र नारायण नाम दर्ज है। उक्त खाते में चरणसिंह के स्थान पर चुन्नीलाल दर्ज होने से प्रार्थी को उक्त आराजी उन्नत करने हेतु खादबीज ऋण बैंक से के०सी०सी० व अन्य राजकीय योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ता है तथा लगान वगैरहा जमा करने में परेशानी आती है। इस कारण प्रार्थी का नाम परिवर्तन होकर चुन्नीलाल के स्थान पर चरणसिंह नाम उक्त जमाबंदी में दर्ज होना अतिआवश्यक है प्रार्थी ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से कई बार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त कर चुन्नीलाल के सीन पर चरणसिंह अंकित करवाना चाहा व निवेदन किया तो सभी ने मना कर दिया व श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करके संशोधन करने के आदेश लाने को कहा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 26 फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड फोटो प्रति बैंक पास बुक फोटो प्रति आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम खेंडली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 5 रकबा 5.14 बीघा प्रार्थी चुन्नीलाल पुत्र नारायण जाति खारवाल के नाम दर्ज है उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में है प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्यवसाय के सम्बन्ध में कवाई में निवास करता है सेटलमेन्ट के समय गांव वालों ने प्रार्थी का नाम चुन्नीलाल दर्ज करवा दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम चरण सिंह है चरण सिंह के नाम से आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्डश बैंक पास बुक, सभी दस्तावेजों में चरण सिंह पुत्र नारायण दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चुन्नीलाल दर्ज होने के कारण प्रार्थी को के.सी.सी. व अन्य राजकीय योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चुन्नीलाल के स्थान पर चरण सिंह दर्ज करने के आदेश फरमावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने जॉच रिपार्ट में बताया कि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में चरण सिंह ही नाम दर्ज है व राजस्व रिकार्ड में चुन्नीलाल दर्ज है प्रार्थी के बारें में ग्राम वासियों से जानकारी लेने पर प्रार्थी का वास्तविक नाम चरण सिंह व चुन्नीलाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है इस नाम का गांव में अन्य कोई व्यक्ति नही होना बताया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली सम्वत 2074–77 खाता संख्या 26 के प्रार्थी खसरा नम्बर 165/105 का खातेदार कृषक है परन्तु वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खाता संख्या 1/2 खसरा नम्बर 5 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा दर्ज किया गया है। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वकील प्रार्थी द्वारा कॉलम के नम्बरों का आंकन कर दिया गया है एवं सही खाता संख्या 26 खसरा नम्बर 161/105 का उल्लेख नही किया गया है। जो प्रथम दृष्टया लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है अतः न्यायालय धारा 151 सी0पी0सी0 में अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करतें प्रार्थना पत्र स्वीकार करता है। फोटों प्रति परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, में प्रार्थी का नाम चरणसिह दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम दस्तावेजात में चरण सिंह है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चुन्नीलाल दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से कई प्रकार की परेशानी आना बताया है तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार छबडा ने भी प्रार्थी का नाम चरण सिंह व चुन्नीलाल दोनो ही होना बताया तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेडली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 161/105 रकबा 5.14 बीघा में दर्ज चुन्नीलाल के स्थान पर चरण सिंह उर्फ चुन्नीलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दियें जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा